**श्री कान्ति लाल साह नायल/सुनेरी सोपस्टोन माइन्स तहसील व जनपद बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.03.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

श्री कान्ति लाल साह नायल/सुनेरी सोपस्टोन माइन्स तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (2.704 है0 क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित 2009 के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 15.02.2023 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के कम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 18.02.2023 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी। दिनांक 18.02.2023 को सार्वजनकि अवकाश होने के कारण उक्त लोक सुनवाई दिनांक 15.03.2023 को प्रस्तावित की गयी। तदकम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2023 को परियोजना स्थल ग्राम नायल/सुनरी तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 डी0के0 जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्कम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्निजन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा जनसुनवाई पैनल के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उपस्थित ग्रामीणों का स्वागत/अभिनन्दन करते हुए ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि परियोजना के संबंध में ग्रामीणों के विचार महत्वपूर्ण हैं

कमशः–2

तथा अनुरोध किया गया वह अधिक से अधिक अपने विचार परियोजना के संबंध में रखे ताकि प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्य किया जा सके। तदोपरान्त पर्यावरण सलाहकार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है परिणामों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोतों से दूषित नहीं है। मानसून के पहले 05 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत भूजल के नमूनों की जांच की गयी जो भौतिक–रासायनिक प्रचालन के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर हैं। सतही जल विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नमूनों के अधिकांश मापदण्डों का अनुपालन होता है।

खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिन व रात में शोर के स्तर की जांच की गयी जो सीपीसीबी की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पडेगा। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। खनन परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में प्रदान की जायेगी। परियोजना की कुल प्रस्तावित सीईआर लागत रू0– 2,68,165.00 तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कुल बजट रू0– 10,22,500.00 प्रस्तावित है। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढढों में अपशिष्ट पदार्थ भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव पर्याप्त होगा। चिकित्सा सुविधाएं खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में प्रदान की जाएगी। आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी ये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

क्रमशः–3

इस संबंध में अपर जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरण सलाहकार को निर्देशित किया गया कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य संवेदनशीलता से धरातल पर किया जाय तथा खनन कार्य पर्यावरण को संरक्षित करते हुए किया जाय। क्षेत्रीय अधिकारी, द्वारा पर्यावरण सलाहकार को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र के नीचे गधेरा है। क्या गधेरे के सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के लिए उनके द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है तथा निर्देशित किया गया कि पर्यावरण सलाहकार परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण संरक्षण के नियमों से अवगत कराये तथा गधेरे को खनन से होने वाले दूषप्रभाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य आदि प्रस्तावित करें व इस हेतु अतिरिक्त बजट का प्राविधान किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री उमेश सिंह प्रधान ग्राम पचांयत तुनेडा बागेश्वर– प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र उनकी ग्राम पंचायत अन्तर्गत है जिसमें खनन संक्रियाएं होने वाले पर खड़िया के ढुलान के समय मलुवा आदि नदी व गधेरे में न जाय। इसका परियोजना प्रस्तावक विशेष ध्यान रखें तथा खनन संक्रियाओं नदी व गधेरे का पानी प्रदूषित न हो को सुनिश्चित करते हुए नदी/गधेरे का सुरक्षात्मक कार्य करा लिया जाय। प्रधान द्वारा पौधरोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक को अपनी ग्राम पंचायत की भूमि दिये जाने का प्रस्ताव भी रखा। खनन परियोजना से हमे कोई आपत्ति नहीं है।

2. श्रीमती हेमा दफौटी सरंपच ग्राम नायल बागेश्वर– श्रीमती दफौटी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना रोजगार के दृष्टिगत सही है। परियोजना से गांव के विकास में सहयोग मिलेगा। परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर रोजगार दिया जाय। ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण हेतु भी परियोजना प्रस्तावक को सोचना चाहिए। खनन से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

3. श्री नन्दन सिंह दफौटी ग्राम काण्डे बागेश्वर– श्री दफौटी द्वारा सर्वप्रथम जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनता का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्रान्तर्गत खनन परियोजना प्रस्तावित की जा रही है जो रोजगार के दृष्टिगत स्वागत योग्य है। परियोजना प्रस्तावक स्थानीय गरीब ग्रामीणों को परियोजना में रोजगार प्रदान करें। श्री दफौटी द्वारा प्रधान जी की बातों का समर्थन करते हुए पौधरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना स्वागत योग्य है तथा स्पष्ट किया गया कि खनन परियोजना से नदी/गधेरे के पानी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित न किया जाय।

क्रमशः–4

4. श्री कान्ति लाल साह (परियोजना प्रस्तावक)— श्री साह जी द्वारा सर्वप्रथम जनसुनवाई समिति के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी महोदया एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्र0नि0बो0, हल्द्वानी का स्वागत/अभिनन्दन करते हुए स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा क्षेत्रान्तर्गत खनन परियोजना स्थापित की जा रही है जो ग्रामीणों की सहमति के आधार पर ही स्थापित होगी। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु वह हमेशा तत्पर रहेगें।

इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सुझाव दिया गया कि प्रधान व ग्रामीणों के साथ एक आम बैठक कर ग्रामीणों की आवश्यकताओं एवं शंकाओं का निराकरण कर निर्बाध रूप से परियोजना संचालित हो सकती है। पौध रोपण हेतु ग्राम प्रधान व सरपंच के साथ समन्वय स्थापित कर वृहत पौधरोपण करें तथा पौधों को प्राथमिक स्तर पर संरक्षित कर उनकी देखभाल करें। खनन परियोजना से गधेरा प्रदूषित न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी, प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, प्रधान, सरपंच व ग्रामीणों का स्वागत एवं जनसुनवाई को सम्पन्न कराये जाने में सहयोग प्रदान किये जाने वाले कार्मिकों को स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत उद्योग के स्थापित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परियोजना से स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार प्राप्त कराया जाय इसका ध्यान परियोजना प्रस्तावक को रखना होगा। कई बार इस खनन परियोजनाओं में बाहरी लोगों को रोजगार दिये जाने की शिकायत आती है जो उचित नही है परियोजना प्रस्तावक कार्य कुशलता के अधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे तथा परियोजना का अप्रत्यक्ष रूप से भी स्थानीय ग्रामीणों को लाभ होगा ऐसी में आशा करता हूँ। माइनिंग के साथ—साथ पर्यावरण को भी बचाना होगा। खनन कार्य करने से वन सम्पदा को निश्चित रूप से हानि होती हैं पर्यावरण को इस हानि से बचाने हेतु वन पंचायत के सहयोग से वनों में वृहद वृक्षारोण करना पड़ेगा। इस संबंध में प्रधान जी द्वारा अपनी पौधरोपण हेतु अपनी ग्राम पंचायत की भूमि दिये जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। जिसकी देख—रेख परियोजना प्रस्तावक अपने स्तर से करायेंगे। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगाये गये 50 प्रतिशत वृक्षों को भी संरक्षित किया जाता है तो यह पर्यावरण एवं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पर्यावरण संरक्षण के जो भी नियम हैं परियोजना प्रस्तावक उनका अक्षरशः अनुपालन करें। खनन संक्रियाएं होने से गधेरे प्रदूषित न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय। जल स्त्रोतों से निर्धारित दूरी पर ही खनन कार्य करें क्योंकि खनन कार्य से जल स्त्रोतों के सूखने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। खनन कार्य से प्रकृति का स्वरूप न बदलें। पर्यावरण सलाहकार द्वारा कॉस्ट एस्टिमेट्स में जो कुल सीईआर फण्ड का प्राविधान किया गया है उसमें ग्रामीणों की जरूरत एवं उनकी सलाह के आधार पर ही कार्यवाही करें। सीईआर फण्ड का ग्रामीणों के नौले, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर आपूर्ति विद्यालयों का जीर्णोधार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक

क्रमशः—5

उपकरण/सामग्री आदि का कार्य ग्रामीणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही करें। खनन कारोबारी मात्र अपना हित न देखकर पर्यावरण को भी संरक्षित करें। मैं आशा करता हूँ कि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों के साथ आपसी समन्वय स्थापिक कर उनके सुझावों के आधार पर ही कार्य करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोकसुनवाई सम्पन्न कराये जाने हेतु पुनः सभी ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।